सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 अग्रहायण 6, गुरुवार, शाके 1947–नवम्बर 27, 2025 अंक 35
Vol. 77 Agrahayana 6 , Thursday, Saka 1947–November 27, 2025 No. 35

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12./एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता दिलीप कुमार (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व डामरा राम (पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो कानि. कमांडो (सबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में पुलिस लाईन बाड़मेर (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी। एतद्वारा–

1. स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम डामरा राम उपनाम ..... (सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम दिलीप कुमार तथा उपनाम ..... ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व उपनाम ..... (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम ..... द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रो प्रलेखो एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम डायरा राम तथा उपनाम .... (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में दिलीप कुमार नाम के रूप में तथा ..... उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम दिलीप कुमार उपनाम ..... के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम डामरा राम तथा दिलीप कुमार का वर्णन किया है तथा दिनांक 25.10.2025 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम दिलीप कुमार द्वारा जो पूर्व में डामरा राम कहलाता था/कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

साक्षी

1. गोकुल राम S/o अमरा राम, कानि ड्राईवर नं. 117
गांव खडीन जिला– बाडमेर
2. राणाराम S/o सोनाराम, कानि Fc. No. 1918
गांव/पोस्ट तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर।

हस्ताक्षर
(नया नाम): दिलीप कुमार
(पुराना नाम): डामरा राम

प्रतिहस्ताक्षर
नरेन्द्र सिंह मीना
जिला पुलिस अधीक्षक
बाड़मेर (राज.)।

22554

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।